Speed Post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. US/1/2016/MHFW1/SEOTH/RU-III **Date: 12.12.2019**

To,

The Medical Superintendent
Safdarjung hospital,
New Delhi

Sub: Minutes of sitting taken by Hon'ble Member of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 19.11.2019 in the matter of Representation dated 22.06.2016 of Shri Udai Singh, G-44 Gali No.6, Papravat Road Near Sani Bazar, Pram Nagar, Nazfagard regarding ST certificate.

I am directed to enclose herewith a copy of Minutes of the sitting taken by Shri Harshadbhai Chunnilal Vasava, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 19.11.2019 at 12.30 p.m. for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within 15 days.

Encl:As above.

Yours faithfully,

(R.K. Dubey)
Assistant Director

Copy for information:

1. Shri Udai Singh,
   G-44 Gali No.6, Papravat Road Near Sani Bazar,
   Pram Nagar, Nazfagard, New Delhi – 110043
2. PS to Hon'ble Vice - Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- US/1/2016/MHFW1/SEOTH/RU-III)

श्री उदय सिंह मीणा, जी-44 गली न. 6, पपरावत रोड (सैनी बाजार के नजदीक), प्रेम नगर, नजफगढ़ के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सुरक्षा गार्ड रघुवीर सिंह द्वारा सफदरजंग अस्पताल में नौकरी प्राप्त करने के विषय में अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य महोदय श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 19.11.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री उदय सिंह मीणा, जी-44 गली न. 6, पपरावत रोड (सैनी बाजार के नजदीक), प्रेम नगर, नजफगढ़ के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सुरक्षा गार्ड रघुवीर सिंह द्वारा सफदरजंग अस्पताल में नौकरी प्राप्त करने के विषय में अभ्यावेदन पर आयोग को आवेदन दिया था।
2. प्रकरण में माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 15.01.2019 को बैठक आहूत किया गया था। बैठक की अनुशंसा निम्नानुसार है -
    - जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी, जिला छानबीन समिति के निर्णय के अनुपालन के तहत तत्काल श्री रघुवीर सिंह, निवासी - लांबा गोठड़ा, तहसील- चिड़ावा के फर्जी प्रमाण पत्र को निरस्त करें।
    - निरस्त प्रमाण पत्र की सूचना के साथ ही सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली को तत्काल प्रेषित कर नियमानुकूल समुचित कार्रवाई हेतु लिखें।
3. अनुशंसा के अनुपालन में कार्यालय जिला कलेक्टर, झुझुनूं का दिनांक 12.02.2019 का पत्र प्राप्त हुआ। जिसमें बताया गया है कि श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री महादेव सिंह निवासी लांबा गोठड़ा, तहसील- चिड़ावा, जिला- झुझुनूं को तहसीलदार चिड़ावा द्वारा दिनांक 06.06.1995 को जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के संबंध में दिनांक 10.01.2019 को जिलास्तरीय छानबीन समिति द्वारा उक्त प्रमाण पत्र को गलत पाया। समसंख्यक पत्र दिनांक 28.01.2019 के द्वारा उपखंड अधिकारी, चिड़ावा को यह प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश प्रदान किए गए।

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

4. प्रकरण में चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग द्वारा कोई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जबकि उक्त आदेश की प्रति उन्हें भेजी गई थी।
5. प्रकरण में माननीय सदस्य महोदय श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 को बैठक आहूत की गई। इस संबंध में दिनांक 05.11.2019 को चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली को बैठक की नोटिस जारी की गई।
6. बैठक में आयोग द्वारा पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, जिन्होंने बताया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सुरक्षा गार्ड रघुवीर सिंह सफदरजंग अस्पताल में नौकरी कर रहा है। नायक जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति का होता है न कि अनुसूचित जनजाति का। पिछली बैठक के बाद जिला कलेक्टर द्वारा उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा चुका है। इसकी सूचना जिला कलेक्टर द्वारा सफदरजंग अस्पताल को भेजी गई थी। इसके बाद भी सफदरजंग अस्पताल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
7. सफदरजंग अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा गार्ड रघुवीर सिंह के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जिला कलेक्टर, झुझुनूं का पत्र प्राप्त हुआ है। अस्पताल प्रशासन द्वारा प्रकरण विजिलेंस में भेजा गया है। चूंकि जिला कलेक्टर के यहां से पहले प्राप्त पत्र में बताया गया था कि रघुवीर सिंह का जाति प्रमाण पत्र सही है इसलिए अस्पताल प्रशासन के सामने यह समस्या था कि किस पत्र को सही माना जाए।
8. मामले में आयोग द्वारा सभी पक्षों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की गई :-
   - फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करनेवाले सुरक्षा गार्ड पर अस्पताल प्रशासन कार्रवाई करे व आयोग के समक्ष एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 15 दिनों के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए।

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- US/1/2016/MHFW1/SEOTH/RU-III)

श्री उदय सिंह मीणा, जी-44 गली न. 6, पपरावत रोड (सैनी बाजार के नजदीक), प्रेम नगर, नजफगढ़ द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सुरक्षा गार्ड रघुवीर सिंह के सफदरजंग अस्पताल में नौकरी प्राप्त करने के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य महोदय श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा,	माननीय सदस्य
(2.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(3.)	श्री आर.के दुबे,	स. निदेशक
(4.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **सफदरजंग अस्पताल के अधिकारी**

(1.)	डॉ. प्रेम कुमार,	प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक
(2.)	ए. आर मीणा,	ए.ओ

- **अभ्यावेदक**

श्री उदय सिंह